

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
वमुकद में ईव्तादाई


अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 29/2024  
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.


गुरमेल सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

1. अहमद मुस्तफा पुत्र सहीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अहमद रज्जाक पुत्र सहीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कर्मवीर पत्नी श्री राय साहब जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)  
कुसुम बिश्नोई पुत्र श्री अजय कुमार बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. प्यारा बीबी पुत्री श्री नुर मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - मृत
- 5/1. सादक अली पुत्र स्व. प्यारा बीबी पुत्री श्री नुर मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 5/2. कलीमा पुत्री स्व. प्यारा बीबी पुत्री श्री नुर मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 5/3. मरिया पुत्री स्व. प्यारा बीबी पुत्री श्री नुर मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. मीना बीबी पुत्री श्री सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. रजिया बीबी पुत्री श्री सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुल्तान बीबी पुत्री श्री सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सहीद मोहम्मद पुत्र श्री नुर मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. सीमा बीबी पुत्री श्री सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. अरसा बीबी पुत्री श्री अब्दुल सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गुलाम पुत्री श्री अली मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. फातमा बीबी पुत्री अब्दुल सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. फातिमा पुत्री अली मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. सकीना बीबी पुत्री अब्दुल सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. सलमा बीबी पुत्री अब्दुल सतार खॉ जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. हलीमा बीबी पुत्री अली मोहम्मद जाति लबाना भट्टी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

  
महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी गिन जागिन मुदई श्री .....गिन जानिव मुदायला पेश होकर हुवम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकर भय वलियत एव सकूनत	चक का नाम खातो का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा	अन्तर का विवरण	अन्तर का कारण	वि ति
 <p>गुरमेल सिंह पुत्र नन्द सिंह जट सिख निवासी किकरवाली</p>	प.मं. किकरवाली के चक 6 डीएलपी का खाता सं. 14/31 खाते का योग 4.301 हेक्. (विवादित श्रेणी का है।)	0.253 हेक्.	गुरमेल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी किकरवाली	प.न. 138/195 मु.न. 56 का कि.न. 21/0.253 कुल- 0.253 हेक्.			
	प.मं. किकरवाली के चक 8 एमएमके का खाता सं. 75/29 खाते का योग 7.590 हेक्. (विवादित श्रेणी का है।)	0.279 हेक्.	गुरमेल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी किकरवाली	प.न. 138/196 मु.न. 21 का कि.न. 1/0.253, प.न. 137/196 मु.न. 20 का कि.न. 16/0.010, 25/0.016 कुल-0.279 हेक्.			
<p>1 सकीना बीबी 2 अरसा बीबी 3 फातमा बीबी 4 सलमा बीबी 5 सीमा बीबी राहिन एसबीआई रोडावाली 6 सुल्ताना बीबी 7 मीना बीबी 8 रजिया बीबी पुत्रीयां अब्दुल सतार खा 9 गुलाम पुत्र अली मोहम्मद 10फातिमा पुत्री अलीमोहम्मद 11 मोहम्मद हुसैन 12 मोहम्मद बिलाल 13 हलीमा बीबी पि. अली मोहम्मद 14 प्यारी बीबी पुत्री नूरमोहम्मद 15 मीना पुत्री नूरहसन 16 शहीद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद राहिन सीबीआई हनुमानगढ जं जाति मुसलमान निवासी किकरवाली 17 कुसुम पत्नि अजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ जं वंशन</p>	प.मं. किकरवाली के चक 6 डीएलपी के खाता सं. 14/31 खाते का योग 4.301 हेक्. (विवादित श्रेणी का है।)	क.स. 17 का 0.506 हेक्.	कुसुम बिश्नोई पत्नि अजय कुमार बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ जं वंशन	प.न. 137/195 मु.न. 57 का कि.न. 16,23,25/0.759, 18/0.038 कुल-0.797 हेक्.			
		1 ता 8 का 0.388 हेक्. व 9 ता 13 का 0.765 हेक्. व 14 का 0.860, 15 का 0.229, 16 का 1.147 हेक्. कुल:-3.389 हेक्.	1 हलीमा बीबी, मोहम्मद बिलाल, गुलाम फातिमा, मोहम्मद हुसैन पि. अली मोहम्मद बहिव 0.918 हि. 2 मीना पत्नि नूरहसन 0.229 हि. 3 प्यारी बीबी पुत्री नूरमोहम्मद 0.860 हि. (फौत कब्जा वारिसान) 4 मीना बीबी, रजिया-बीबी पुत्रीयां अब्दुल सतार खां 5 शहीद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद 1.147 हि. राहिन सीबीआई हनुमानगढ जं. जाति मुसलमान निवासी किकरवाली	प.न. 136/195 मु.न. 58 का कि.न. 15,16,25/0.759 व 137/195 मु.न. 57 का कि.न. 11,12,13,17/1.012, 18/0.215, 19 ता 22,24/1.265 कुल:-3.251 हेक्			
<p>1.अली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद 2 अहमद मुस्तफा 3 अहमद रजाक पि. शहीद मोहम्मद 4 प्यारी बीबी पुत्री नूर मोहम्मद 5 सहीद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद राहिन सीबीआई हनुमानगढ टाउन 6 मीना बीबी 7 रजिया बीबी 8 सुल्ताना बीबी राहिनान सीबीआई हनुमानगढ टाउन 9 सीमा बीबी राहिन स्टेट बैंक ऑफ पंढियाला पुत्रीयां सतार खा जाति लखाना गटटी निवासी किकरवाली 10 कमला पत्नि रायसाहब निवासी हनुमानगढ जं 11 कुसुम बिश्नोई पुत्र अजय कुमार बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी वाई नं. 11 भगतपुरा रोड संगरिया</p>	प.मं. किकरवाली के चक 8 एमएमके का खाता सं. 75/29 खाते का योग 7.590 हेक्. (विवादित श्रेणी का है।)	1-2.024, 2-0.126 हेक्. 3-0.127, 4-1.518 हेक्. 5-1.771 हेक्. 6 ता 9 का 0.271 बहिव 10-0.531,11-0.859 हेक्.	1 कमला पत्नि रायसाहब 0.616 हि.(फौत कब्जा वारिसान) 2 कुसुम बिश्नोई पुत्र अजय कुमार बिश्नोई 0.951हि.जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ जं.	प.न. 137/196 मु.न. 20 का कि.न. 3/0.202, 5,6,8,15/1.012, 16/0.243, 25/0.110 कुल:- 1.567 हेक्.			नोट स 2 पर देखें।
			1 अली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद 2.024 हि. (फौत कब्जा वारिसान) 2 अहमद मुस्तफा 3 अहमद रज्जाक पि शहीद मोहम्मद बहिव 0.253 हि. 4 शहीद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद 1.771 हि. राहिन सीबीआई हनुमानगढ टाउन 5 मीना बीबी 6 रजिया बीबी पुत्रीयां अब्दुल सतार खां बहिव 0.177 हि. राहिन सीबीआई हनुमानगढ टाउन 7 प्यारी बीबी पुत्री नूरमोहम्मद 1.518 हि. (फौत कब्जा वारिसान) जाति मुसलमान निवासी किकरवाली	प.न. 136/196 मु.न. 19 का कि.न. 4/1/0.228, 4/2/0.025 मै.मु. खाला. 5/1/0.228, 5/2/0.025 मै.मु. खाला. 6,15,16/0.759 व प.न. 137/196 मु.न. 20 का कि.न. 1,2/0.506, 3/0.051, 4,7, 9ता 14, 17 ता 20, 22ता 24/3.795, 25/0.127 कुल:-5.744 हेक्			

महायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नोट सं:-

1. चक 6 डीएलपी के खाता सं. 14/31 में सकीना बीबी, अरसा बीबी, फातमा बीबी, सलमा बीबी पुत्रीयां अब्दूल सतार द्वारा जरिये बैयनामा कुसुम पत्नि अजय कुमार बिश्नोई को बैय कर दी। लेकिन उक्त खाता सं.14 संयुक्त खाता 4.301 हि. में से अब्दूल सतार के फौत होने से वारिसान के नाम 0.894 हि का नामान्तकरण दर्ज हुआ तथा इसके पश्चात अब्दूल सतार के समस्त वारिसान द्वारा कुसुम को 0.506 हि. बेचान करने के पश्चात मीना बीबी, सकीना बीबी, अरसा बीबी, सीमा बीबी, सुल्ताना बीबी, फातमा बीबी, रजिया बीबी, सलमा बीबी पुत्रीयां अब्दूल सतार 0.388 हि प्रत्येक का 1/8 हि. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उक्त बैयनामा दिनांक 22.05.2020 में उक्त वारिसान में से सकीना बीबी, अरसा बीबी, फातमा बीबी, सलमा बीबी पुत्रीयां अब्दूल सतार द्वारा जरिये बैयनामा 1/8 हि. के स्थान पर 1/7 हि. अनुसार 0.221 हि. कुसुम पत्नि अजय कुमार बिश्नोई को बैय कर दी। जबकि 0.194 हि. का ही बेचान होना चाहिये था। जिस कारण से उक्त बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ। इसके पश्चात सीमा बीबी व सुल्ताना बीबी पुत्रीयां अब्दुल सतार खां द्वारा अपना 0.097 हि. का जरिये बैयनामा दिनांक 11.08.2023 कुसुम पत्नि अजय कुमार बिश्नोई को बैय कर दी।

चक 8 एमएमके का खाता सं. 75/29 में सुल्ताना बीबी पुत्री अब्दुल सतार खां ने अपना 0.088 में से 0.085 का बेचान आमीन को बैय कर दी थी जिसके पश्चात आमीन द्वारा अपना 0.085 हि. जरिये बैयनामा दिनांक 18.03.2020 कमला को बैय कर दिया जिसका नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ। जिसका बैयनामा खान है। तथा इसी चक के इसी खाता सं. में सुल्ताना बीबी पुत्री अब्दुल सतार खां के पास 0.003 हि. शेष रह गया इसके पश्चात सुल्ताना बीबी व सीमा बीबी पुत्रीयां अब्दुल सतार खां द्वारा अपने नाम से दर्ज 0.136 हि. जो कि गलत हि. दर्ज था जबकि इन दोनों के नाम से 0.092 हि. दर्ज होना चाहिये था का बेचान 0.136 हि. अनुसार ही कुसुम को कर दिया।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/121 दिनांक 10.01.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....100.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक/10.3.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त, कलकत्ता एवं  
उपरवाह अधिकारी  
संगरिया